

प्रपत्र-02

कार्यालय- जिला शिक्षा अधीक्षक, गढ़वा

संख्याक - १७९

तारीख- ४/३/२०२१

प्रबंधक,

प्राचार्य, आर० के० पब्लिक स्कूल अधीक्षक,
श्री बंशीधर नगर।

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमबद्धी 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदक,

आपके द्वारा दिनांक 21.09.2020 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुए पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मैं आर० के० पब्लिक स्कूल अधीक्षक, श्री बंशीधर नगर (विद्यालय का नाम, पते सहित) को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

1. इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता निहित नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमबद्धी 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
 3. विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पडोस के कमजोर एवं अभिव्यक्ति वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
 4. उक्त कड़िका 03 में उल्लेखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।
 5. विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्थीरिंग टेस्ट नहीं लेगा।
 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसे स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
 7. विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
 - i. प्रवेश दिये गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुतीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा।
 - iii. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से काई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमबद्धी के प्रावधान के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राप्तिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अहताएँ के अनुसूचि क्रिया जाएगा तथा

~~R.K. Adhaura, Barshidhar Nagar, Ganjwa~~

R.K.

जिनके पास उस निर्धारित न्यूनतम् अहर्ता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पास वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम् अहर्ताएँ अर्जित कर लेंगे।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और

viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियाजित नहीं करेंगे।

8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।

10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-

i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 2.15 एकड़

ii. कुल निर्मित क्षेत्र - 22,000 वर्ग फिट /

iii. कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल - 18000 वर्ग फिट

iv. कक्षाओं की संख्या - 11

v. प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भांडागार के लिए कक्ष - 3

vi. बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - हों

vii. पेयजल सुविधा - हों

viii. गिड-डे-मिल पकाने की लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)

ix. बाधारहित पहुँच - हों

x. अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकूद उपस्करण/ पुस्तकालय की उपलब्धता - हों

11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से काई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।

13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।


14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।


15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/ जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/ स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।

16. विद्यालय को सोसाईटी रिजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 19 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाये।


PRINCIPAL
R.K. Public School
Adhaura, Bonshidhar Nagar
Garhwa


MANAGER
R.K. PUBLIC SCHOOL
(GARHWAL)


जिला शिक्षा अधीक्षक/
गृहीत गढ़।
लूम्पुर